# कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2017 में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत शासनादेश संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1)2017 दिनांक 05.01.2018 के कम में वर्तमान स्थानान्तण सत्र 2023–24 में कार्मिकों के अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु प्रत्येक संवर्ग (चतुर्थ श्रेणी संवर्ग को छोड़कर) सुगम–दुर्गम के कार्यस्थलों, स्थानान्तरण हेतु पात्र कामिकों तथा उपलब्ध एवं सम्भावित रिक्तियों की सूची उत्तराखण्ड/विभागीय वैबसाइड में अपलोड की जा चुकी है।

उपरोक्त संवर्गो के समस्त कार्मिक अपलोड की गई सूची में अपने से सम्बन्धित सुगम एवं दुर्गम कार्य–अवधि/पात्रता इत्यादि का परीक्षण कर लें। यदि किसी कार्मिक को सुगम एवं दुर्गम कार्य अवधि, पात्रता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो अपना प्रत्यावेदन साक्ष्य सहित उचित माध्यम से निदेशालय को दिनांक 08.05.2023 तक उपलब्ध करायें।

सुगम से दुर्गम तथा दुर्गम से सुगम में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों की अपलोड सूची में अंकित वास्तविक एवं सम्भावित रिक्तियों में से तैनाती/स्थानान्तरण हेतु वरियताकम में इच्छित अधिकतम 10 विकल्प एवं अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु समुचित कारण/प्रमाणों सहित प्रत्यावेदन अपने नियन्त्रणाधिकारी के माध्यम से निदेशालय को दिनांक 08.05.2023 तक भेजना सुनिश्चित करें ताकि निदेशालय स्तर पर गठित समिति के द्वारा दिनांक 10.05.2023 तक प्राप्त प्रत्यावेदनों का नियमानुसार निस्तारण किया जा सके।

उक्त के अतिरिक्त अधिनियम में अनिवार्य स्थानान्तरण में वर्णित छूट की श्रेणी में आने वाले कार्मिक स्थानान्तरण में छूट के सम्बन्ध में नियमानुसार स्वयं का प्रार्थना पत्र, सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र/साक्ष्य उचित माध्यम से उपलब्ध करायें ताकि तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

ह0/–
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड

## कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

**पत्रांकः– कृ0नि0/ 532 /स्था0अनु0–1/वार्षिक स्था0अधि0/2023–24/दिनांक– 01/5/2023**
**प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (स्थापना), कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड को उक्तानुसार परिपालनार्थ।
2. समस्त कार्यालयाध्यक्ष, कृषि विभाग को इस आशय से कि वे अपने अधीन कार्यरत समस्त कार्मिकों को उक्तानुसार अवगत कराते हुये आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

कृषि निदेशक
उत्तराखण्ड

**पत्रांकः– कृ0नि0/ /स्था0अनु0–1/वार्षिक स्था0अधि0/2023–24/दिनांक–**
**प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
3. सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं संज्ञानार्थ प्रेषित।

कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड